न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओम प्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 05/2018

प्रार्थी–

ताजाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट
निवासी बामरला तहसील सेडवा
जिला बाडमेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बामरला जिला बाड़मेर
2. मूलाराम पुत्र कोशलाराम जाति जाट निवासी बामरला तहसील सेडवा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.07.1990 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत बामरला द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री लाखाराम चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 25.01.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत बामरला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में अनुसूचित जाति, जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरों लघु, सीमान्त कृषकों को निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आवंटन के तहत ग्राम बामरला में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा स. 11 दिनांक 30.07.1990 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 8100 वर्गफीट दर्शाया गया है। ग्राम पंचायत बामरला द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम के प्रावधानों की पालना नहीं किया जाना पाया गया, उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी जरिये नोटिस जवाब एवं सुनवाई हेतु तलब किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भूखण्ड ग्राम पंचायत बामरला की आबादी भूमि में आया हुआ है जो निगरानीकर्ता का पैतृक भूखण्ड है तथा इस पर रहवासी मकान बना हुआ है। उक्त मकान में निगरानीकर्ता के पिता सोनाराम द्वारा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड के समीप अप्रार्थी संख्या 2 का कोई आवासीय भूखण्ड या मकान अवस्थित नहीं है इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बामरला ने आलौच्य पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.07.1990 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी कर दिया है। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त पट्टा से संबंधित ग्राम पंचायत के अभिलेख की पत्रावली की नकल चाही जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं होना बताया है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा मिलीभगत से आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों की पालना किये बिना विधिविरूद्ध रूप से जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 के 50 साल पुराने कब्जे के संबंध में किसी प्रकार का साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं लिया गया और न ही आस–पडौस के गवाहान के बयान शपथ[illegible] गये। आलौच्य पट्टा में उल्लेखित भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का [illegible] कब्जा नहीं रहा है और न ही आज भी है, ऐसे में बिना कब्जे के जारी किया गया पट्टा विलेख निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

से संबंधित किसी प्रकार की ग्राम पंचायत बैठक में कार्यवाही नहीं की गई है और न ही कोई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत की सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के अभाव में जारी किया गया आलौच्य पट्टा विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर आलौच्य पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.07.1990 निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी सं. 2 के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि निगरानीकर्ता के आधिपत्य एवं स्वामित्व का कोई भूखण्ड बामरला की आबादी भूमि में आया हुआ नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 के स्वामित्व एवं आधिपत्य का भूखण्ड नाप 100गुणा81 फीट आया हुआ है जिसका पुराने कब्जे के आधार पर निगरानीधीन पट्टा संख्या 11 ग्राम पंचायत द्वारा समस्त विधिक कार्यवाही सम्पन्न करते हुए जारी किया गया है। इस भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 मूलाराम व कोशलाराम के आवासीय मकान बने हुए एवं बिजली के कनेक्शन हैं। आलौच्य पट्टा संख्या 11 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मूलाराम व कोशलाराम के नाम से जारी किया गया है जबकि इस निगरानी में कोशलाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया है। ऐसे में कोशलाराम को पक्षकार बनाये बिना यह निगरानी प्रार्थना–पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को उसके विधिपूर्ण कब्जे एवं पट्टाशुद स्वामित्व के भूखण्ड से बेदखल करने की कोशिश की तब अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सिविल न्यायालय चौहटन में एक दिवानी वाद 10/2013 मूलाराम बनाम ताजाराम व अन्य पेश किया जो बाद सुनवाई दिनांक 17.12.2014 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार कर निगरानीकर्ता को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 मूलाराम के कब्जाशुदा व पट्टाशुदा भूखण्ड में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व बाधा उत्पन्न न करे और न ही उसको भूखण्ड से जबरन बेदखल करे। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त वाद में आलौच्य पट्टा विलेख की प्रति प्रस्तुत

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

की गई तथा न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के स्वामित्व व कब्जे को स्थापित मानते हुए उसके पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित की गई। निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना–पत्र दिनांक 26.11.2018 को पेश किया गया है जबकि अप्रार्थी के द्वारा सिविल न्यायालय में उक्त पट्टा की प्रति दिनांक 08.11. 2013 को प्रस्तुत कर दी गई थी। इस प्रकार निगरानीकर्ता द्वारा आलौच्य पट्टा की जानकारी होने के 5 साल बाद यह निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में विधिसम्मत कार्यवाही अपनाते हुए पट्टा जारी किया गया है। इस पट्टा से संबंधित वर्तमान में कोई अभिलेख यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तो इसका दायित्व अप्रार्थी पर नहीं है। आलौच्य पट्टा जारी होने के पश्चात अप्रार्थी सं. 2 ने उक्त भूखण्ड पर मकान का निर्माण करवाया तथा ग्राम पंचायत बामरला से नियमानुसार विद्युत का कनेक्शन लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करवाकर विद्युत कनेक्शन भी ले लिया है। इस प्रकार ग्राम पंचायत बामरला द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के आवेदन पर सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिसम्मत तरीके से अपनाते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं, जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक या वाक्याती भूल नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं मनगढ़त तथ्यों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भूखण्ड ग्राम पंचायत बामरला की आबादी भूमि में आया हुआ है जो निगरानीकर्ता का पैतृक भूखण्ड है तथा इस पर रहवासी मकान बना हुआ है। उक्त [illegible] में निगरानीकर्ता के पिता सोनाराम द्वारा विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। निगरानीकर्ता के उक्त भूखण्ड के समीप अप्रार्थी संख्या 2 का कोई [illegible] भूखण्ड या मकान अवस्थित नहीं है इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत बामरला ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आलौच्य पट्टा संख्या 11 दिनांक 30.07.1990 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी कर दिया है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर अपने कब्जे के संबंध में विद्युत कनेक्शन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है किन्तु इससे यह प्रकट नहीं होता है कि यह कनेक्शन उक्त विवादित भूखण्ड पर ही स्थापित है। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थी का कथन है कि उक्त विद्युत कनेक्शन निगरानीकर्ता के खातेदारी खेत में स्थित ढाणी में है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है इस संबंध में सिविल न्यायालय में विचारित वाद के दौरान सिविल न्यायालय द्वारा अप्रार्थी के कब्जे को मान्य करते हुए निगरानीकर्ता को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया है कि वह कब्जे में दखलंदाजी नहीं करें व बेदखल न करें। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बामरला द्वारा पंचायत की बैठक दिनांक 20.12.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 3 भी इसी आशय का पारित किया गया है कि ग्राम पंचायत बामरला की आबादी भूमि में श्री मूलाराम/चेतनराम व कोशलाराम पुत्र मूलाराम के नाम का संयुक्त भूखण्ड साईज 100गुणा81 फुट का आया हुआ है जिस पर भूखण्डधारियों का वर्तमान में कब्जा है। इस भूखण्ड को मूलाराम व कोशलाराम आपसी बंटवाडा 1/2 हिस्से में करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है। इन दस्तावेजी साक्ष्यों से यह भलीभांति साबित है कि निगरानीकर्ता का आलौच्य पट्टा में उल्लेखित भूखण्ड पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है। इसके अलावा आलौच्य पट्टा के संबंध में ग्राम पंचायत की कार्यवाही के रेकर्ड की अनुपलब्धता का जो प्रश्न है उसका भार अथवा दायित्व अप्रार्थी संख्या 2 पर नहीं है। ग्राम पंचायत के रेकर्ड का रख–रखाव का दायित्व ग्राम पंचायत का ही है तथा वर्तमान में यदि रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो यह नहीं माना जा सकता कि आलौच्य पट्टा बिना रेकर्ड जारी किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा आलौच्य पट्टा [illegible] राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत [illegible] किया गया है जिसमें ग्राम पंचायत के अभिलेख का परिशीलन उ[illegible] निश्चय किया जाना है किन्तु रेकर्ड की अनुपलब्धता से यह संभव नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलेक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

निगरानी प्रार्थना–पत्र में मयाद के बिन्दु पर आक्षेप करते हुए न्यायिक निर्णय–नजीर 2015(4)डीएनजे(राज)1853 प्रस्तुत की गई है जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि "अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नहीं, किन्तु असाधारण विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती है।" हस्तगत प्रकरण में आलौच्य पट्टा वर्ष 1990 में जारी किया गया है जिसके विरूद्ध 2018 में अर्थात 28 वर्ष पश्चात यह निगरानी अत्यंत ही विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी को आलौच्य पट्टा की जानकारी वर्ष 2013 में हो जाने के बावजूद भी 5 वर्ष बाद यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार यह निगरानी प्रार्थना–पत्र मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है। इसके बावजूद भी प्रार्थी यदि इस भूखण्ड पर अपना हक–अधिकार होना मानता हैं तो उसे सक्षम सिविल न्यायालय में घोषणा का वाद प्रस्तुत कर अधिकारों की घोषणा करवानी चाहिए। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में समस्त कार्यवाही विधि अनुसार विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं होना साबित नहीं कर सका है। साथ ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं जिसमे पक्षकारों के कब्जे एवं स्वामित्व अधिकारों का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं हैं। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने एवं मयाद बाहर होने से खारिज किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 25.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bishnoi
Date: 2022.02.11 18:00:51 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)